झारखण्ड सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

विषय :– विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के अधीन अनुदान स्वीकृति का विकेन्द्रीकरण तथा राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राज्य कोष से उपलब्ध आवंटन के अधीन व्यय से स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने के संबंध में।

1. राज्य आपदा मोचन निधि दिशा–निर्देश के कंडिका–3 में उल्लेखित प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, चक्रवात इत्यादि से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से सहाय्य राशि उपलब्ध करायी जाती है । राज्य आपदा मोचन निधि दिशा–निर्देश के कंडिका–13(i) में उल्लेख है कि–"राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) राज्य आपदा मोचन निधि से तत्काल राहत खर्च से संबधित सभी वित्तीय मामलों में निर्णय लेगी।" उल्लेखनीय है कि राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 धारा–20 की उपधारा–1 प्रदत्त शक्तियों के अनुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–217, दिनांक–31.03.2009 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है ।

2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से सहायतार्थ समय–समय पर मद एवं मानदण्ड निर्गत किए जाते हैं, जिसमें निर्धारित दर के अनुसार प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।

3. संबंधित जिला के उपायुक्त से प्राप्त अधियाचना प्रस्ताव के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य कार्यकारिणी समिति से अनुमति प्राप्त कर अथवा राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा संबंधित उपायुक्त को राशि उपलब्ध करायी जाती है ।

4. उपरोक्त प्रक्रिया में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को सामान्यतः त्वरित सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है । दिनांक–30.05.2014 को आयोजित झारखण्ड विधान सभा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को ससमय मुआवजा नहीं उपलब्ध कराने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए संबंधित उपायुक्तगण को स्वीकृति हेतु समुचित वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित करने तथा उपायुक्त के स्तर से ही स्वीकृति प्रदान किये जाने पर विभाग से विचार करने का अनुरोध किया गया था ।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :–

   (i) प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को त्वरित गति से सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य के समस्त उपायुक्तों को भारत सरकार द्वारा निर्गत नवीनतम मद एवं मानदण्ड में दिनांक–28.11.2013 के परिपत्र एवं मानक के तहत समय–समय पर परिर्वतन होने पर कंडिका–10 infrastructure को छोड़कर मानक के अधीन स्वीकृति हेतु वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं ।

(ii) आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न सुसंगत शीर्षो के तहत 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रूपये आवंटन उपलब्ध करायी जायेगी। आवंटित राशि के व्यय होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार उपायुक्तों को उनकी अधियाचना पर पुनः आवंटन उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) उपायुक्त, द्वारा स्वीकृत राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की जाय। यथा संभव संबंधित बैंक खाता आधार लिंक्ड हो। ऐसा न होने पर e-KYC complaint अवश्य रहे।

(iv) आपदा आने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर इसका निष्पादन किया जाय। प्रयास एक सप्ताह के अन्दर ही भुगतान करने का होना चाहिए। इस हेतु आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर पंचायत आपदा कर्मी नाम/पदनाम से घोषित किया जाय जो पंचायत सेवक/हल्का कर्मचारी एवं जनसेवक रहे। ग्राम पंचायत का दायित्व एवं सहभागिता भी उपायुक्त स्पष्ट करेंगे।

(v) सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की घोषणा सक्षम स्तर से होने के बाद ही भुगतान किया जायेगा।

(vi) बाढ़ एवं अग्नि दुर्घटना के मामले में कंडिका–(v) की आवश्यकता नहीं होगी, उपायुक्त स्वतः सक्षम होंगे।

(vii) संबंधित सूचना आपदा प्रबंधन विभाग की वेबसाईट पर update भुगतान के साथ अवश्य किया जाय। उचित होगा कि वेबसाईट पर uploaded information कोषागार विपत्र के साथ संलग्न सूची के अनुसार रहे। यह संलग्न विहित प्रपत्रों में किया जायेगा।

(viii) अनुदान स्वीकृति के पूर्व विभिन्न मदों में स्वीकृति के पूर्व विहित प्रपत्रों में सूचना संकलित किया जाय। जिससे आपदा का सही सत्यापन किया जा सके। इसका विस्तृत प्रपत्र संलग्न है।

(ix) कंडिका–(v) और (vi) के क्रम में जहां राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) या राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) की अनुशंसा की आवश्यकता हो, वहां प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) की स्वीकृति हेतु भेजा जाय।

(x) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मद एवं मानदण्ड में उल्लेखित Agricultural assistance, कंडिका–5, 6, 7, 8 एवं 10 का अनुदान भी विस्तृत प्रस्ताव के साथ राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) को प्रेषित किया जायेगा। अन्तिम निर्णय राज्य कार्यकारिणी समिति (SEC) का होगा।

(xi) सरकारी योजनाओं के तहत जहां आपदा नियंत्रण एवं आपदा के बाद कार्य संभव हो उसे coordinate करके कराया जाय। जिला एवं प्रखण्डस्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित मासिक बैठक कर इसे सुनिश्चित किया जाय।

6. उपरोक्त निर्णय मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–12.05.2015 को मद संख्या–01 द्वारा लिया गया है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र के अगामी असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह० / –
(सुधांशु भूषण बरवार)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः–04 / आ०प्र०(विविध)–17 / 2014–........................राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस) झारखण्ड, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर इस विभाग को भेंजे ।

ह० / –
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः–04 / आ०प्र०(विविध)–17 / 2014–........................राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांकः–04 / आ०प्र०(विविध)–17 / 2014–604(अनु.)/आ०प्र०, राँची, दिनांक–18/5/15

प्रतिलिपिः–संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करने हेतु e-gazette प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव 18/5

Sanklap Power delegation 14.5.153

मख्य प्राकृतिक आपदाओं की विवरणी निम्न रूप में प्राप्त की जायेगी :–

प्रपत्र डी०एम०–1

प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान

क्रम सं०	जिला / प्रखण्ड / पंचायत का नाम	मृतक का नाम, उम्र एवं Epic सं०	आश्रित का नाम, संबंध एवं पता, Epic सं० एवं आधार सं० सहित	घटना की तिथि	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	स्वीकृत / विमुक्त राशि	विमुक्त राशि बैंक का नाम, e-Kyc/आधार आधारित खाता सं०, IFS Code	अभिलेख सं० / स्वीकृत्यादेश सं०	घटना की जाँच / अनुसंधान करवाने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र डी०एम०–2

प्राकृतिक आपदा से घायलों के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान

	जिला का नाम	घायल का नाम एवं पता	पिता / पति / पत्नी / अभिभावक का नाम एवं पता	घटना की तिथि	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	अंग या चक्षु हानि		गंभीर रूप से घायल		स्वीकृत राशि / विमुक्त राशि	विमुक्त राशि बैंक का नाम, e-Kyc/आधार आधारित खाता सं०, IFS Code	अभिलेख सं० / स्वीकृत्यादेश सं०	घटना की जाँच / अनुसंधान करवाने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
						राजकीय चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल द्वारा प्रमाणित 40% 75% विकलांगता	राजकीय चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सकों के पैनल द्वारा प्रमाणित 75% से अधिक विकलांगता (प्रमाण पत्र सं० / दिनांक एवं निर्गत कार्यालय सहित)	एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में चिकित्सा (अस्पताल के नाम सहित)	एक सप्ताह से कम अस्पताल में चिकित्सा (अस्पताल के नाम सहित)				
[illegible]	[illegible]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र डी०एम०–3

कृषि इनपुट अनुदान – फसल क्षति 50% एवं अधिक होने पर

	जिला का नाम	कृषकों के नाम, कृषक लघु / सीमान्त / अन्य	घटना की तिथि	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	फसल का प्रकार (Agriculture crops/ Horticulture crops/Annual crops/perr crops)	सिंचित असिंचित क्षेत्र	फसल बीमा से आच्छादित / अनाच्छादित	स्वीकृत राशि	फसल बीमा की राशि घटाने पर देय राशि	वास्तविक विमुक्त राशि	विमुक्त राशि बैंक का नाम, e-kyc/ आधार आधारित खाता सं०, IFS Code	अभिलेख सं० / स्वीकृत्यादेश सं०	घटना की जाँच / अनुसंधान करवाने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

15.05.15 15.5.15

प्रपत्र डी०एम०–4

प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन

(अग्निकाण्ड एवं अन्य [illegible] आपदा के लिए अलग–अलग प्रतिवेदन अपेक्षित)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्राकृतिक आपदा का प्रकार	घटना की तिथि	लाभुक का नाम एवं पता, e-kyc/ आधार आधारित खाता सं०, IFS Code, बैंक का नाम	मकान का प्रकार (पक्का / कच्चा / झोपड़ी)	क्षति का प्रकार (पूर्ण / गंभीर / आंशिक / झोपड़ी)	संख्या	स्वीकृत राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि:–

(1) उपर्युक्त मकानों का निर्माण बैध रूप में हुआ है । यह अतिक्रमित भूखण्ड पर नहीं है ।

(2) क्षति का आकलन सक्षम / प्राधिकृत तकनीकी पदाधिकारी द्वारा किया गया है। भवन निर्माण के अभियंता द्वारा ।

(3) 15% से अधिक क्षति को ही आंशिक क्षतिग्रस्त की सूची में सम्मिलित किया गया है ।

प्रपत्र डी०एम०–5

वित्तीय वर्षवार आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जायेगी :–

वित्तीय वर्ष–

जिला का नाम–

क्र० सं०	जिला का नाम	बजट शीर्ष	आवंटनादेश संख्या एवं तिथि	आवंटित राशि	शेष राशि	राशि (जिनकी उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दी गई है), पत्रांक / दिनांक	प्रत्यर्पित राशि (यदि की गई हो)	राशि खर्च नहीं होने का कारण	अभ्युक्ति
1		2		3	4	5	6	7	8

नोट:– **संबंधित सभी सूचना एवं प्रतिवेदन ईमेल एवं अन्य संचार के द्रुत साधनों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। online भी वेबसाईट पर update किया जाय ।**

(i) उपायुक्त द्वारा प्राधिकार पत्र से निकासी राशि का उपयोगिता प्रपत्र महालेखाकार को भेजकर समायोजित किया जाय ।

(ii) ए०सी० विपत्र से निकासी का डी०सी० विपत्र पत्रांक, दिनांक से समर्पित कर महालेखाकार से समायोजन करा लिया गया है ।

(iii) शेष राशि मात्र डी०सी० विपत्र से निकासी कर हाथों में भुगतान किया गया है ।

उपायुक्त

Proceeding 20-07-201417

15.05.15 15.5.15

आवेदन एवं स्वीकृति का प्रपत्र

1. (i) आवेदक का नाम
   (ii) श्रेणी (SC/ST/EBC/Minority)
   (iii) लिंग (महिला/पुरुष)

2. (i) पीड़ित परिवार से आवेदक का संबंध
   (ii) पता
   मकान संख्या
   ग्राम
   पंचायत
   प्रखण्ड
   जिला
   (iii) परिवार के सदस्यों की संख्या–
   पुरुष
   महिला
   व्यस्क
   बच्चे
   कुल

3. आपदा का ब्योरा–
   आपदा का प्रकार
   तिथि

4. आपदा के कारण प्रभावित क्षति का ब्योरा–
   (i) मानव क्षति
   मृत संख्या
   घायल संख्या
   (ii) मकान क्षति
   मकान का प्रकार (पक्का/कच्चा/झोपड़ी)
   क्षति का प्रतिशत
   फोटो सहित
   (iii) फसल क्षति–
   फसल का प्रकार
   रकबा (हे०)
   खाता संख्या
   खेसरा संख्या

5. कोई अन्य क्षति –
6. बैंक खाता का ब्योरा–
   (i) बैंक का नाम/शाखा सहित
   (ii) खाता संख्या
   (iii) e-kyc/आधारित खाता की स्थिति
   (iv) खाताधारी का नाम
   (v) पीड़ित परिवार से संबंध

15.05.15 15.5.15

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना सही है ।

पंच. [illegible] दा कर्मी का प्रतिवेदन

1. पंचायत आपदा कर्मी का ना
   पदनाम
   GPF No.
   CPF No.
   Pran No.

2. स्थल निरीक्षण की
   (i) तिथि
   (ii) समय
   (iii) उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि का नाम/पदनाम

3. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना का सत्यापन :-

अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सत्यापन कर अपनी अनुशंसा अंकित कर दिया है । इसमें कोई त्रुटि होने पर अधोहस्ताक्षरी दोषी होंगे एवं गलत भुगतान राशि की वसूली मुझसे की जायेगी।

ह०/-

पंचायत कार्यकारिणी /मुखिया का मंतव्य

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति .... द्वारा उक्त सूचना तथा घटना की तिथि एवं आपदा के प्रकार की पुष्टि करता हूँ ।

ह०/-

15.05.15 15.5.15